



सज़ा नलिंबन की शक्ति और सुधारवादी सदिधांत

प्रलिमिस के लयि

आपराधकि प्रकरयिा संहतिा (CrPC) और भारतीय संवधान की वशिषिट धाराएँ

मेन्स के लयि

सज़ा का सुधारवादी सदिधांत और इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने एक हालयिा नरिणय में कहा है कि जेल की सज़ा की अवधि अथवा अपराध की गंभीरता जेल से समय पूर्व रहिई की याचकिा को खारजि करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है ।

प्रमुख बदि

- जस्टिस एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रहिई के बाद पुनः अपराध करने की आशंका का अनुमान 'जेल की अवधि के दौरान उस वयक्ति के आचरण और उसके अतीत के आधार पर लगाया जाना चाहयि, न कि केवल उस वयक्ति की उमर और पीड़ितों तथा गवाहों की आशंका के आधार पर ।'

सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

- सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक समाज को शांतपूरण और भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, कति भारतीय न्याय प्रणाली में सुधारवादी सदिधांत भी इस अधिकार जतिना ही महत्त्वपूरण है ।
- न्यायालय के अनुसार, हमें सुधारवादी न्याय में केवल सार्वजनकि सद्भाव पर ध्यान केंद्रति नहीं करना चाहयि, बल्कि भाईचारे और आपसी स्वीकार्यता को भी बढ़ावा देना चाहयि ।
 - इस संबंध में पहली बार अपराध करने वाले अपराधयिों को वशिष रूप से सुधरने का दूसरा अवसर दयिा जाना चाहयि ।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय का यह नरिणय उत्तर प्रदेश के दो कैदयिों के संबंध में आया है, जनि पर फरिौती की रकम के लयि एक असफल अपहरण का आरोप लगाया था ।
- दोनों कैदयिों ने जेल में तकरीबन 16 वर्ष बतिा लयि हैं और उन्होंने अपनी समय पूर्व रहिई के संबंध में याचकिा दायर की थी, कति अपराध की प्रकृति, अपराधयिों की आयु, गवाहों की आशंका और समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव के चलते उनकी याचकिा को रद्द कर दयिा गया था ।
- इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचकिा दायर की और अब न्यायालय ने दोनों कैदयिों की समय पूर्व रहिई का आदेश दे दयिा है ।

संबंधित कानून

■ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432(1) राज्य सरकारों को किसी भी दोषी की सज़ा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नलिंबति करने की शक्ति प्रदान करती है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432(2) के मुताबिक, यदि राज्य सरकार के पास किसी दोषी की सज़ा को नलिंबति करने का कोई आवेदन आता है तो संबंधित राज्य सरकार इस मामले पर उस पीठासीन न्यायाधीश की राय ले सकती है जिसने दोषी को सज़ा सुनाई थी।
- CrPC की धारा 433 राज्य सरकारों को न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करती है, जबकि धारा 433A इस शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाती है।
- CrPC की धारा 433A के अनुसार, यदि किसी दोषी को उम्रकैद की सज़ा हुई है तो उसे कारावास से तब तक रखा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह कम-से-कम 14 वर्ष की सज़ा पूरी न कर ले।

■ भारतीय संविधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह किसी अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्तिको क्षमादान देने अर्थात् दंडादेश का नलिंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है।
- ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति उन सभी मामलों में अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जहाँ सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई हो, जहाँ किसी ऐसे कानून का उल्लंघन किया गया हो जो कि संघ की कार्यकारी शक्तियों के अधीन हो और जहाँ किसी अपराध के लिये मृत्यु दंड दिया गया हो।
- वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को क्षमादान करने और कुछ विशिष्ट मामलों में सज़ा को नलिंबति करने, कम करने अथवा परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- किसी भी राज्य के राज्यपाल को ऐसे सभी मामलों में क्षमादान, सज़ा को नलिंबति करने, कम करने और परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, जहाँ किसी ऐसे कानून का उल्लंघन किया गया हो जो कि [राज्य की कार्यकारी शक्तियों](#) के अधीन हो।

राज्य सज़ा समीक्षा बोर्ड

- वर्ष 1999 से पूर्व देश के सभी राज्य सज़ा नलिंबति करने की अपनी शक्ति का प्रयोग भिन्न-भिन्न तरीकों से करते थे, जिसके कारण प्रायः जटिलताएँ उत्पन्न होती थीं।
- इस मामले पर संज्ञान लेते हुए वर्ष 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि समय-पूर्व रद्द अथवा सज़ा के नलिंबन से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिये सभी राज्यों में राज्य सज़ा समीक्षा बोर्डों के गठन की सिफारिश की।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नवंबर 1999 में सभी राज्यों के सज़ा समीक्षा बोर्डों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये कुछ व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये।

सज़ा का सुधारवादी सिद्धांत

- सज़ा का सुधारवादी सिद्धांत मानता है कि किसी भी दोषी को सज़ा देने का उद्देश्य उस व्यक्ति में सुधार लाना होना चाहिये, न कि सज़ा के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत करना।
- इस प्रकार के सिद्धांत की वकालत करने वाले लोग मानते हैं कि अपराधी ने किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपराध किया होगा और यह परिस्थिति पुनः उत्पन्न नहीं होगी, इसलिये उसे कारावास अवधि के दौरान सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- इस प्रकार अपराधियों को दी जाना वाली सज़ा का उद्देश्य अपराधी में नैतिक सुधार लाना होना चाहिये। साथ ही अपराधी को कारावास की अवधि के दौरान किसी विशिष्ट कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये, ताकि वह जेल से बाहर आने के बाद एक नया जीवन शुरू कर सके।

सुधारवादी सिद्धांत का महत्त्व

- सुधारवादी सिद्धांत का प्रमुख जोर कारावास अवधि के दौरान कैदियों के पुनर्वास पर होता है ताकि वे कानून का पालन कर अच्छे नागरिक बन सकें।
- यह सिद्धांत कारावास के दौरान कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने और मानवीय गरमा बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
- इस सिद्धांत की वकालत करने वालों का दावा है कि अपराधियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और वनिम्न व्यवहार किये जाने से उनके व्यक्तित्व में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है।

स्रोत: द हट्टू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/conduct-is-key-to-early-release>